रम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

23 धनेश्वरी देवी पति स्व0 धनेश्वर राम पासवान, निवास स्थान ग्राम-सिलवारखुर्द, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-रोला, थाना नं0-176, खाता संख्या-54, प्लॉट संख्या-165, 168, 289, 160 एवं 550, रकवा क्रमशः 0.03 एकड़, 0.0350 एकड़, 0.2750 एकड़, 0.0150 एकड़ एवं 0.03 एकड़ कुल रकवा 0.3850 एकड़ (38.50 डिसमिल) (अड़तीस दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि बिणा देवी पति लालु राम, निवास स्थान ग्राम-रोला, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-620/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3383/रा0 दिनांक 08.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 333 दिनांक 17.02.2023 से मौजा-रोला, थाना संख्या-176, खाता संख्या-54, प्लॉट संख्या-289, रकवा-0.2750 एकड़ भूमि का जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, चेक स्लीप एवं नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। आवेदित भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत होरिल दुसाध वल्द हरी दुसाध हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 7.56 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 5.1550 एकड़ भूमि है। मौजा-रोला ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ संख्या-69/I पर खाता संख्या-54 कुल रकवा 5.1550 एकड़ होरिल दुसाध पिता हरी दुसाध के नाम से जमबांदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। आवेदक खतियानी एवं जमाबंदी रैयत के वंशज हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। घरेलु बँटवारा के अनुसार आवेदक का हिस्सा है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 4.88 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	

सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में धनेश्वरी देवी पति स्व0 धनेश्वर राम पासवान, निवास स्थान ग्राम-सिलवारखुर्द, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-रोला, थाना नं0-176, खाता संख्या-54, प्लॉट संख्या-289, रकवा 0.2750 एकड़ (27.50 डिसमिल) (सताईस दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि बिणा देवी पति लालु राम, निवास स्थान ग्राम-रोला, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.03.25 15:44:45 +05:30
Location: 192.168.0.104